भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2096
उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

चंडीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे

2096. श्री मनीश तिवारीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रतिबंधात्मक फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) मानदंड, दोषपूर्ण भूमि स्वामित्व, पट्टे की बाधाएं और व्यापक भवन निर्माण उल्लंघन और दुरुपयोग संबंधी सूचनाओं सहित सामना किए जा रहे दीर्घकालिक लंबित मुद्दों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौजूदा एफएआर सीमा 0.75 ने औद्योगिक कार्यों को, विशेषकर पंजाब और हरियाणा के पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है जहां एफएआर मानदंड 2.5 से 3.0 है और क्या सरकार का इसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ऐतिहासिक पट्टों के आवंटन से उत्पन्न दोषपूर्ण स्वामित्वों का समाधान करने और औद्योगिक संपत्तियों को पट्टे से स्वतंत्र स्वामित्व में परिवर्तित करने पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या शास्तियों से संबंधित चंडीगढ़ संपदा नियमों में पूर्वव्यापी संशोधनों की कानूनी विधिमान्यता की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के लिए एकमुश्त माफी योजना और सेवा गतिविधियों की अनुमति देने हेतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 को अंगीकृत करने पर विचार किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन मुद्दों के समाधान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में निजी उद्यम/उद्योग शामिल हैं। उद्यमों, उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्र का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। ये मुद्दे चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हैं, जो मुख्य रूप से चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न भूखंडों के आकार के लिए वास्तुशिल्प नियंत्रण और ज़ोनिंग योजनाओं के साथ शासित किया जा रहा है। प्रारंभ में, 0.5 के एफएआर की अनुमति दी गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 0.6 और बाद में प्लॉट के आकार के अनुसार 0.75/1.00 कर दिया गया था। इसके अलावा, लचीले विकास मानदंडों और पड़ोसी राज्यों के लिए उच्च एफएआर से संबंधित मामले पर औद्योगिक क्षेत्र, चरण- I, II और III के लिए विनियमन 1.0, 2.0 की समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया है। औद्योगिक भूखंडों में भूमि हानि को कम करने के लिए भवन विनियमों पर पुनर्विचार/संशोधन करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 23.01.2026 को उपायुक्त-सह-संपदा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और एफएआर में वृद्धि की दिशा में नगर निगम द्वारा सेवाओं में वृद्धि के संबंध में इसकी समीक्षा की जा रही है।

संपदा कार्यालय, संघ-राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दोषपूर्ण शीर्षक और औद्योगिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने से संबंधित मुद्दे चंडीगढ़ प्रशासन और गृह मंत्रालय द्वारा शासित होते हैं। पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952, चंडीगढ़ एस्टेट नियम, 2007 और चंडीगढ़ भवन नियम (शहरी), 2017 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मुद्दों के नियमितीकरण से संबंधित मामलों की जांच मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

यह भी सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में औद्योगिक/वाणिज्यिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के प्रस्ताव की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी और इस पर सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) : पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार दंड से संबंधित कार्रवाई की जाती है। संपदा कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दंड सम्बन्धी प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।

यह भी सूचित किया गया है कि वर्तमान में कोई भी क्षमादान योजना लागू नहीं है।

एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत एमएसएमई के लिए एक सुविधाजनक इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है, ऐसे उपायों का कार्यान्वयन स्थानीय कानूनों और विनियमों के अधीन है। एमएसएमई मंत्रालय राज्यों सहित हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ है और आवश्यकतानुसार एमएसएमई से संबंधित सरोकारों से यथोचित अधिकारियों को अवगत कराता है।

*****